# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बिरधा बनाम सत्यनारायण

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 32/2003 | |
| 26/12/2025 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो। | |
| 31/12/2025 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत सात सहखातेदार है, प्रतिवादी संख्या 8 सरकार भूमिधारी है। दावा तकासमें का है इसलिए सरकार को पक्षकार बनाया गया है। ग्राम गोविन्दपुरा तहसील चाकसू में पक्षकारो की भूमि स्थित है। वादपत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बरान, रकबा तथा सहखातेदारान के हिस्से जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को अंकित करते हुए सजरा खानदान को अंकित किया गया। दीगर प्रतिवादी तीन लगायत सात सहखातेदार है। रिकार्ड में दर्ज हिस्से की बाबत किसी भी प्रकार का विवाद नही है। प्रतिवादी क्रम तीन लगायत सात अपने-अपने हिस्से की जमीन बाट्टी तकासमा करके काश्त कर रहे है। वादी तथा प्रतिवादी क्रम एक व दो एक ही पिता श्री भौरा की सन्तान है। तीनो अपने हिस्से की जमीन शामलाती में व अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार काबिज है व काश्त करते है। बाकी प्रतिवादीगण 3 लगायत 7 से उन्होंने बाही बंटवारा करके अपने हिस्से की जमीन अलग करली और वे भी अपने हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त है। वादी के भाईयो की नीयत में फितुत आ गया है तथा दिनांक 08/03/2000 को वादी एवं उसके भाइयो के बीच भूमि को कहा सुनी हो गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्पष्ट तकासमें के लिये मना कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय में तकासमें का दावा प्रस्तुत कर अपने हिस्से की जमीन पृथक करवावे। वादपत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी की दावा वादी तकासमें का डिक्री फरमाया जाकर वादी हिस्से की भूमि को जो ग्राम गोविन्दपुरा तहसील चाकसू में स्थित को पृथक जरिये तकासमा करके अलग से राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।<br><br>अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर | |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बिरधा बनाम सत्यनारायण

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

रेस्पो./वादी सत्यनारायण का वाद दिनांक 07/01/2003 को स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/01/2003 को अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2005 पारित करते हुए अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमा दी गयी, जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 31/03/2006 पारित करते हुए निगरानी को स्वीकार कर पुन: निर्णय हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया | जिस पर उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन वाद के निस्तारण हेतु कायम की गयी कुल 9 तनकीयात का निस्तारण करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यसबूत/दस्तावेजात का विस्तुत रूप से परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान कर दिया गया, जो उचित प्रतीत नही होता है | अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे दस्तावेजी साक्ष्यो का मौखिक साक्ष्यो के आधार पर परिक्षण करते हुये घोषणा के बिन्दु को तय करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्यो का समुचित विवेचन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/01/2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का तनकीवार विस्तुत विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर